

5 विदेशी सहायता

इस अनुबंध में बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय स्रोतों से मिली विदेशी सहायता के स्वरूप का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। वर्ष 2020-2021 तथा 2021-2022 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

	वास्तविक 2019-2020	बजट अनुमान 2020-2021	संशोधित अनुमान 2020-2021	बजट अनुमान 2021-2022
1. ऋण	63180.29	57557.00	118813.00	86022.00
2. घटाएं-राज्य परियोजनाओं हेतु विदेशी ऋण	-20607.07	-15547.35	-29056.77	-43581.77
3. निवल विदेशी ऋण (1-2)	42573.22	42009.65	89756.23	42440.23
4. नकद अनुदान	367.97	400.00	671.00	637.00
5. वस्तु अनुदान सहायता	5.00	412.00	750.75	110.00
6. जोड़ (3+4+5)	42946.19	42821.65	91177.98	43187.23
7. ऋणों की वापसी-अदायगी	33890.91	37388.00	35234.00	40926.00
8. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (6-7)	9055.28	5433.65	55943.98	2261.23
9. ऋणों पर ब्याज अदायगी	9419.69	10178.00	9241.00	10617.00
10. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (8-9)	-364.41	-4744.35	46702.98	-8355.77

(₹ करोड़ में)

विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा दी जा रही सहायता का संक्षिप्त ब्योरा नीचे दिया गया है:-

(क) बहुपक्षीय स्रोत

1. विश्व बैंक समूह

विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। भारत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आईबीआरडी तथा आईडीए के माध्यम से विश्व बैंक से निधियां प्राप्त करता रहा है।

(क) अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

भारत 1949 से आईबीआरडी से सहायता प्राप्त कर रहा है। आईबीआरडी ऋण, हालांकि गैर रियायती हैं, वाणिज्यिक संसाधनों हेतु अपेक्षाकृत अनुकूल शर्तों पर दिया जाता है। आईबीआरडी सॉवरेन ऋणों को मुख्यतया अवसंरचना परियोजनाओं और गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों और गैर ऋण सेवाओं के जरिए सम्पोषणीय विकास को बढ़ावा देकर गरीबी कम करना है।

आईबीआरडी की सहायता के जरिए चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं- नार्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, केपसिटी आगमेन्टेशन आफ दि नेशनल वाटर-वेज-1 (जलमार्ग विकास) परियोजना, महाराष्ट्र प्रोजेक्ट आन क्लाइमेट रेजीलेन्ट एग्रीकल्चर, अटल भू जल योजना (एबीएचवाई) नेशनल ग्राउण्ड वाटर मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट और प्रोग्राम टूवार्ड्स इलिमिनेशन आफ टयूबर क्यूलोसिस आदि।

(ख) अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक की रियायती शाखा है और बैंक के गरीबी कम करने के मिशन को सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब, भारत रियायती ऋणों के कार्यक्षेत्र से बाहर है। हमारे देश में निष्पादित की जा रही अधिकांश परियोजनाएं सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में हैं। वर्तमान में चल रही कुछ परियोजनाएं हैं- नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन, बिहार कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश हार्टीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बिहार ट्रान्सफार्थीटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट-जीविका II और बिहार ग्रामीण सड़क परियोजना आदी,

2. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

एडीबी 1966 में स्थापित एक मुख्य क्षेत्रीय वित्तीय संस्था है और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। हमारे संसाधनों को विस्तृत करने के लिए 1986 में एडीबी से उधार लेना शुरू किया गया था।

एडीबी के प्रचालन अब विद्युत, परिवहन और शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त वित्तीय संस्थागत संभरणीय जीविकोपार्जन, कौशल विकास और बिहार न्यू गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट, विशाखापट्टनम, चेन्नै कार्यक्रम औद्योगिक गलियारा विकास तक फैल गए हैं। सरकारी खाते में एडीबी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं 'मध्य प्रदेश जिला कनेक्टिविटी क्षेत्र परियोजना', 'ग्रामीण कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम परियोजना-3', 'दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) सड़क कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम'। कर्नाटक स्टेट हाइवेज इम्पूवमेंट III प्रोजेक्ट और मध्यप्रदेश इरिगेशन एफीसिएन्सी इम्पूवमेंट प्रोजेक्ट, आदि।

एडीबी विशेष तौर पर विद्युत क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों को गारंटीकृत राजकीय ऋण भी प्रदान करता है।

3. यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)

यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) पूंजी निवेश के लिए ऋण मुहैया कराने के लिए रोम संधि के तहत 1958 में स्थापित किया गया था। ईआईबी की सहायता से चलाई जा रही कुछ मुख्य चालू परियोजनाएं हैं: बंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना-लाइन आर 6-ए, पुणे मेट्रो रेल परियोजना तथा भारत मेट्रो रेल परियोजना-ए।

4. न्यू डेवलेपमेंट बैंक (एनडीबी)

ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने शंघाई, चीन में न्यू डेवलेपमेंट बैंक की स्थापना की है। वर्तमान में, एनडीबी द्वारा आठ चालू परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा रही है। एडीबी सहायता से चल रही कुछ प्रमुख चालू परियोजनाएं हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पूनर्संरचना परियोजना, मध्य प्रदेश प्रमुख के जिला सड़क-II परियोजना तथा मुंबई मेट्रो रेल परियोजना आदि।

5. एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी)

एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जो मुख्यतः ऊर्जा, परिवहन एवं दूरसंचार, ग्रामीण अवसंरचना और कृषि विकास के लिए ऋण देता है। वर्तमान में, एआईआईबी द्वारा प्रदान की गई सहायता से क्रियान्वित की जा रही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं:- आंध्र प्रदेश ग्रामीण सड़क परियोजना, बंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना-लाइन आर 6 और आंध्र प्रदेशी शहरी जल आपूर्ति सेप्टेज प्रबंधन सुधार आदि।

6. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी। आईएफएडी ने 1979 से कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के क्षेत्रों में 32 सरकारी परियोजनाओं को सहायता दी है। इनमें आंध्र प्रदेश सुखा शमन परियोजना, पूर्वोत्तर-मिजोरम में जलवायु अनुकूल उच्च भूमि खेती कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करना, पूर्वोत्तर-नागालैण्ड में जलवायु अनुकूल उच्च भूमि खेती कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करना, पूर्वोत्तर-नागालैण्ड में जलवायु अनुकूल उच्च भूमि कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करना शामिल है।

7. वैश्विक निधि संगठन

यह वैश्विक निधि एड्स, तपेदिक और मलेरिया (जीएफएटीएम) से मुकाबला करने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय वित्तपोषण संगठन है जिसका उद्देश्य एचआईवी तथा एड्स, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना और प्रदान करना है। इस संगठन ने जनवरी 2002 में कार्य करना शुरू किया था। भारत में जीएफएटीएम से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

इस समय वैश्विक निधि की सहायता से निष्पादित की जा रही 3 परियोजनाएं हैं जो इस प्रकार हैं- वैश्विक निधि द्वारा सहायता प्राप्त एचआईवी एड्स नियंत्रण परियोजना 'पहुंच बढ़ाना और व्यापक देखभाल बढ़ाना', 'सपोर्ट सहायता और उपचार, गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना-3' और 'तपेदिक'।

(ख) द्विपक्षीय स्रोत

1. जापान

जापान 1958 से भारत को सरकारी विकास सहायता (ओडीए) प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापान की ओर से सरकारी विकास सहायता, ऋण, सहायता अनुदान और तकनीकी सहायता के रूप में जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। जेआईसीए परियोजनाएं परिवहन, विद्युत, सिंचाई, पर्यावरण और निवेश संवर्धन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में फैली हैं।

जेआईसीए सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- 'दिल्ली मास रैपिड परिवहन प्रणाली परियोजना', 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना', 'कोलकाता पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना', 'चेन्नई मेट्रो परियोजना', 'बंगलुरु जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना', 'बंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना', 'अहमदाबाद मेट्रो परियोजना', 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट (फेज I) (II), युमना कार्य योजना परियोजना (III) तमिलनाडु संचार प्रणाली सुधार परियोजना, बिहार राष्ट्रीय राजपथ सुधार परियोजना और बिहार राष्ट्रीय राजपथ सुधार परियोजना (चरण-2) आदि।

2. जर्मनी

जर्मनी संघीय गणराज्य 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। जर्मनी द्वारा सहायता प्राप्त वित्तीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन केएफडब्ल्यू, जर्मनी सरकार के विकास बैंक के माध्यम से और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का जीआईजेड के जरिये किया जाता है। द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं-ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संपोषणीय प्रयोग, संपोषणीय आर्थिक विकास।

केएफडब्ल्यू सहायता के माध्यम से चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं- 'चेन्नै जल उत्पादन और मांग प्रबंध परियोजनाएं', 'शूगटुंग-कर्चम पनबिजली परियोजना-एचपी', और हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश में 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंद्रा ट्रांसमिशन प्रणाली', गंगा बेसिन में पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास कार्यक्रम मध्य प्रदेश शहरी स्वच्छता एवं पर्यावरण कार्यक्रम, सोलर पीवी पावर प्लांट सकरी (शिवाजी नगर) और टीएन-IV के प्रमुख शहरों में बस संदाओं का जलवायु अनुकूल आधुनिकीकरण आदि।

3. रूसी परिसंघ

भारत और रूसी संघ (पूर्ववर्ती यूएसएसआर) के बीच विकास निगम साठ के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना की यूनिट 1 और 2 का निर्माण नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए अंतर-सरकारी करार (आईजीए) के तहत किया गया है, जिसे जून, 1998 में संपूरक करार के जरिए संशोधित किया गया था। यूनिट सं. 3 और 4 निर्माणधीन हैं।

कुडनकुलम में (यूनिट 5 और 6) अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए जुलाई, 2017 में तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के करार के प्रोटोकाल सं.2 पर हस्ताक्षर किए गए थे।

4. फ्रांस

फ्रांस सरकार भारत को 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रेंच एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट (एएफडी) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। भारत में एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट द्वारा वित्तपोषण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऊर्जा दक्षता नवीकरण ऊर्जा, शहरी अवसंरचना (सार्वजनिक परिवहन, जल) हैं। एएफडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- देवथाल चांजु और चांजु-III पन बिजली परियोजना, और बंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना-II I, देवथल चांजु और चांजु-III पन बिजली परियोजना एचपी, कोची मेट्रो, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं तथा पुणे मेट्रो रेल परियोजनाएं आदि।